

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 792

Date: 20<sup>th</sup> May 2019

प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय (समस्त),  
राजस्थान।


स्मरण पत्र

विषय: राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये **समरकैम्प प्रोग्राम 2019, कौशल उन्नयन** (दिनांक 03.06.2019 से 30.06.2019 तक) निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाने की सूचना भेजने बाबत।  
संदर्भ: आयुक्तालय का पत्रांक CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 736 दिनांक 25.04.2019।

लेख है कि उपरोक्त पत्रांक द्वारा सभी 252 राजकीय महाविद्यालयों को अनुशंसित 15 कौशल क्षेत्रों में से विद्यार्थी अभिरूचि एवं महाविद्यालय की सुविधानुसार अधिकतम 03 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन कर **समरकैम्प प्रोग्राम 2019, कौशल उन्नयन** आयोजित करवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में पुनः लेख है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करवाये जाने की पूर्व सूचना, जिसमें समिति गठन, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन आदि, दिनांक 30.04.2019 तक नवाचार प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को भिजवायी जानी थी। साथ ही दिनांक 13.05.2019 तक इन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूचना आवश्यक रूप से आयुक्तालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु, कुछ महाविद्यालयों से आज दिनांक 20.05.2019 तक उपरोक्त वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हुयी है।


इसी क्रम में संबंधित प्राचार्यों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुये न्यूनतम एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम इस **समरकैम्प प्रोग्राम 2019, कौशल उन्नयन** के अंतर्गत आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे की विद्यार्थियों में क्षमता विकास हो सकें तथा उन्हें रोजगारोन्मुख बनाया जा सकें। अतः महाविद्यालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति, चयनित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रवेशित विद्यार्थियों की सूचना पूर्व पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में दिनांक 22.05.2019 तक आवश्यक रूप से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के नवाचार प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी [innovation.cceraj@gmail.com](mailto:innovation.cceraj@gmail.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
प्रदीप कुमार बोरड, IAS  
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 793-94 Date: 20<sup>th</sup> May 2019

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च, शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, HRD/PI/RUSA/Acad./ P&C आकाशि, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों से सम्पर्क कर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर को निर्देशानुसार प्रति भेजकर लेख है कि अपने संबंधित महाविद्यालयों से सम्पर्क कर आदेश की क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।
8. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई-मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

  
डा. विनोद कुमार भारद्वाज  
प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ